



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3723/2026

(Third Bail)

Surjaram Alais Soraj S/o Karanaram, Aged About 28 Years, R/
o Badliya, Police Station Jhanwar, District Jodhpur, Rajasthan.
(Presently Lodged In Central Jail, Sirohi)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Sanjay Bishnoi
For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, P.P. with
Mr. OP Choudhary

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

22/05/2026

प्रार्थी अभियुक्त **सुरजाराम उर्फ सोराज** की ओर से यह तृतीय जमानत आवेदन धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त से संबंधित मामले में आक्षेपित विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

क्रम संख्या	मामले का विशेष विवरण	
01.	एफ.आई.आर. संख्या	111 / 2024
02.	संबंधित पुलिस थाना	सिरोही
03.	जिला	सिरोही
04.	अपराध अंतर्गत धारा	8/15 NDPS Act
05.	गिरफ्तारी की दिनांक	18.05.2024

02. प्रार्थी अभियुक्त के प्रथम एवं द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र क्रमशः दिनांक 15.09.2025 व 14.10.2025 को Not-press करने व अनुसंधान

अधिकारी व जब्ती अधिकारी की साक्ष्य लेखबद्ध होने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किए गए।

03. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

04. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने तर्क दिए कि पूर्व में अनुसंधान अधिकारी व जब्ती अधिकारी की साक्ष्य लेखबद्ध करने की स्वतंत्रता के बाद जमानत प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस कर निस्तारित करवाया गया था। इसके पश्चात् उक्त दोनों ही गवाहों की साक्ष्य लेखबद्ध हो चुकी है। जिस व्यक्ति का नाकाबंदी तोड़कर भागना बताया गया है, उसे लगभग दो से ढाई घंटे बाद पकड़ना कथन किया गया है, जबकि वह व्यक्ति भागने वाला ही था, ऐसा स्पष्ट नहीं है। जब्तशुदा मादक पदार्थ के नमूने लेने के पश्चात् अधिनियम की धारा 52ए में इन्वेंट्री की कार्यवाही करने के पश्चात् सेम्पल्स एफ.एस.एल. जांच हेतु भी विलम्ब से भेजे, जबकि प्रार्थी अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से इस प्रकरण में लगभग दो वर्ष से भी अधिक समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण में अभी भी शेष गवाहों की साक्ष्य लेखबद्ध होकर निस्तारण होने में समय लगने की संभावना होने से प्रार्थी अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिए कि जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू.04 कैलाशदान की साक्ष्य के अनुसार क्रेटा कार में से जो चालक निकलकर भागा था, उसको जाप्ते की मदद से पीछा करते हुए पकड़ने के बाद उसने अपना नाम सुरजाराम उर्फ सोराज होना ही कथन किया था। इस प्रकार मौके से प्रार्थी के भागने के बाद पीछा करने में कुछ समय लगने के पश्चात् ही उसे पकड़ा गया था। अतः इस स्थिति में यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि भागने वाला व्यक्ति प्रार्थी ही नहीं रहा हो। जब्ती अधिकारी व अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से भी प्रार्थी के कब्जे से ही बरामदगी होना साबित है। अतः बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ की

मात्रा को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू.04 कैलाशदान की साक्ष्य के अनुसार दिनांक 18.05.2024 को वह पुलिस थाना कोतवाली, सिरोही में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज 8:45 ए.एम. पर पुलिस कंट्रोल रूम, सिरोही से सूचना प्राप्त हुई थी कि मोरस के पास में एक सफेद रंग की क्रेटा कार, जिसके नंबर आरजे 27 सीएम 0533 हैं, पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर पिण्डवाड़ा से सिरोही की तरफ आ रही है, जो संदिग्ध है, जिसे नाकाबंदी कर, रुकवाकर चेक करो। इस इत्तिला पर नाकाबंदी हेतु समय 08:48 ए.एम. पर शैतान सिंह ए.एस.आई. के साथ रवाना होकर मौके पर पहुंचने के पश्चात् नाकाबंदी की थी। कार चालक ने नाकाबंदी से करीब 50—60 मीटर पहले ही क्रेट कार को रोककर, कार से निकलकर हाइवे क्रॉस करते हुए हनुमानजी के मंदिर के पीछे की तरफ पहाड़ियों में भाग गया, जिसका जापते द्वारा पीछा करने के बाद पकड़े जाने पर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरजाराम उर्फ सोराज होना बताया था। तत्पश्चात् विधिनुसार तलाशी लिए जाने पर कार में से कुल 190.300 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त की बरामदगी हुई थी। इस प्रकार प्रारम्भ में थानाधिकारी के पास मादक पदार्थ के संबंध में कोई सूचना नहीं थी, बल्कि एक कार चालक द्वारा नाकाबंदी तोड़कर भागने की इत्तिला मिलने पर ही इसके द्वारा मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी की गई थी। तत्पश्चात् नाकाबंदी स्थल से पहले ही चालक कार रोककर पहाड़ियों में भाग गया था, जिसे जापते की मदद से पकड़ा गया।

07. इस प्रकार इस स्तर पर ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रार्थी अभियुक्त के ही कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई हो। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में भी इस बात को सही बताया है कि 50—60 मीटर की दूरी से क्रेटा कार संख्या आरजे 27 सीएम 0553 के चालक को भागते हुए देखा था।

साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि चूंकि मादक पदार्थ होने की इत्तिला नहीं थी, इसी कारण से अधिनियम की धारा 42(2) की सूचना भी नहीं बनाई गई थी।

08. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.05 हमीर सिंह की साक्ष्य के अनुसार भी प्रार्थी अभियुक्त ने मौका भी तस्दीक करवाया था। साथ ही फर्द विश्लेषण सीडीआर व रूट चार्ट के आधार पर सुरजाराम उर्फ सोराज के मोबाइल नंबर 8114474121 व अभियुक्त विजय थोरी के मोबाइल नंबर 9352932885 पर वार्ता होना भी पाया गया था तथा अभियुक्त सुरजाराम उर्फ सोराज का घटना से पूर्व पिण्डवाड़ा से प्रतापगढ़ की तरफ तथा घटना के दिन प्रतापगढ़ से सिरोही की तरफ आना भी पाया गया था। अनुसंधान से क्रेटा कार पर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी, वह भी फर्जी पाई गई थी। पी.डब्ल्यू.05 हमीर सिंह ने प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण में चांस रिकवरी थी।

09. जहां तक इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 52ए के तहत इन्वेंट्री की कार्यवाही होने और जब्तशुदा सेम्पल्स एफ.एस.एल. जांच हेतु विलम्ब से भेजे जाने का जो तर्क दिया गया है, तो इस संबंध में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों **Bharat Aambale v. State of Chhattisgarh: 2025(1) Crimes 137 (SC)**, **Mohan Lal v. State of Rajasthan: AIR 2015 SC 2098**, **Narcotics Control Bureau v. Kashif: 2024 INSC 1045** में प्रतिपादित स्थिति से जमानत हेतु इस स्तर पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इससे प्रार्थी-अभियुक्त का कोई हित प्रभावित हुआ हो और जहां सेम्पल विलम्ब से प्रेषित किए जाते हैं व अधिनियम की धारा 52ए के तहत इन्वेंट्री की कार्यवाही विलम्ब से होती है तो इसे अनियमितता ही कहा जा सकता है। अभियोजन पक्ष के प्रकरण पर केवल इसी आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता और यह प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।

10. साथ ही अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि इस न्यायालय के निर्देश की पालना में अब तक अनुसंधान अधिकारी एवं जब्ती

अधिकारी सहित कुल 05 गवाहान के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं। अतः ऐसा भी कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है कि विचारण में गवाह उपस्थित नहीं रहे हों और इस कारण से अभियुक्त बिना विचारण के ही अभिरक्षा में रह रहा हो। जबकि प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त के कब्जे से ही कुल 190.300 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त की बरामदगी हुई है।

11. कुल मिलाकर उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन, प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों—परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ की मात्रा और इससे प्रार्थी अभियुक्त का प्रथमदृष्टया संबंध प्रकट होने आदि को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

12. परिणामतः प्रार्थी अभियुक्त **सुरजाराम उर्फ सोराज** की ओर से प्रस्तुत यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J